पंचदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.12.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार सिंह, स०वि०स० डा० फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री बृज किशोर सिंह, स०वि०स०	"बिहार राज्य के पटना, आरा सहित सभी जिलों में प्राईवेट एवं सरकारी चिकित्सक, प्राईवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं। गरीब मरीज भी इलाज कराने प्राईवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, जहां उनसे चिकित्सक मनमाने ढंग से फीस लेकर उनका आर्थिक दोहन करते हैं । प्राईवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए सरकार द्वारा फीस का निर्धारण नहीं है । अतः सरकारी चिकित्सक के प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने तथा प्राईवेट चिकित्सक एवं नर्सिंग होम पर इलाज के फीस का निर्धारण करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	स्वास्थ्य

1	2	3	4
2.	श्री राम सेवक सिंह, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री शिवजी राय, स०वि०स० श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री श्याम बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०	''राज्य में स्थित चीनी मिल बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझवलियाँ, मोतीहारी, सासामुसा, गोपालगंज, सिधवलिया, रिगा, हसनपुर, लौरियाँ एवं सुगौली के द्वारा विभिन्न नदियों में वेस्टेज गिराये जाने एवं जलकुम्भी तथा शैवाल के कारण गन्दगी फैल रही है, जिससे नदी के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है । नदियों में फैल रहे प्रदूषण से मछलियाँ मर रही हैं । नदियों के जहरीले पानी पीने से जानवरों की मृत्यु हो रही है । जहरीले पानी के कारण हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा प्रदुषित पानी से आम लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है । डेंगू जैसे गम्भीर बीमारी फैल रही है । नदियों में फैल रही प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । अतः चीनी मिलों के द्वारा विभिन्न नदियों में गिराये जा रहे वेस्टेज एवं गन्दगी से नदियों को बचाने एवं चीनी मिलों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	गन्ना उद्योग

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-33/14- 1938 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.12.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-33/14- 1938 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23.12.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।